राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांकः क्षे.प्र./2020/ 7372-7440 जयपुर, दिनांकः 25.06.2020

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

उप निदेशक/सहायक निदेशक/जनसम्पर्क अधिकारी
समस्त सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,
राजस्थान।

विषयः—कोरोना महामारी से बचाव हेतु जिला सूचना केन्द्रों पर 01 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक प्रदर्शनी लगाने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड—19) संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका खतरा बरकरार है। अतः कोरोना महामारी की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन को मास्क पहनने, बार—बार हाथ धोने, सावर्जनिक स्थान पर नहीं थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जागरुक किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गांव, ढाणी, वार्डों एवं मोहल्लों तक लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरुक करने के लिए दिनांक 21.06.2020 से 30.06.2020 तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिला सूचना केंद्रों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव विषय पर आगामी 1 जुलाई 2020 से एक माह तक की अवधि के लिए प्रदर्शनी भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदर्शनी के लिए कंटेंट की सॉफ्ट फाइल (कोरल ड्रॉ फाइल) पत्र के साथ भिजवाई जा रही है। इनके साथ जिला स्तरीय कंटेंट एवं प्रचार—प्रसार के अन्य माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

प्रदर्शनी के लिए आवश्यक बजट जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयों को आवंटित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जागरुकता अभियान के लिए आवंटित बजट का भी इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, सूजस।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।

(महेन्द्र सोनी)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner